न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक – 6/9/22

क्रमांक रीडर/2022/3537

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 नवरतन पुत्र किशनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 जगदीश पुत्र हुकमाराम 2 जितेन्द्र पुत्र अशोक 3 तुलसीदास 4 कैलाश 5 महेन्द्र 6 गजेन्द्र पिसरान रिखबदास 7 पुखराज 8 तनसुख 9 ईश्वरलाल पिसरन हडुमान जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाडमेर 10 किस्तुरसिंह 11 वावूसिंह पिसरान वीरमसिंह जाति राजपुरोहित 12 हरीसिंह 13 लखसिंह पिसरान भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बाडमेर गादान, बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 23/08/22

राजस्व आवेदन संख्या :– 133/2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2481/2156 रकबा 05.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 6/9/22

क्रमांक :– रीडर/2022/3538–41

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नवरतन पुत्र किशनलाल जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी जगदीश पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास, ढाणी बाजार बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर